न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1–वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2–प्रतिवादी संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

26-07-2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 52ग

1- प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 52ग जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा कुमारी अविका का डी.एन.ए. टेस्ट किये जाने हेतु निवेदन किया गया और उन द्वारा कथन किया गया है कि कुमारी अविका का डी.एन.ए. टेस्ट इसलिए आवश्यक है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वह मृत्तक अजीत कुमार व मृत्तका अम्बालिका सिंह की वंशज है या नहीं। यदि वह वंशज है तभी मृत्तक अजीत कुमार व मृत्तका अम्बालिका सिंह की समस्त सम्पत्तियों की मालकिन होगी। कुमारी अविका की आयु के दृष्टिगत व इनकी सम्पत्तियों की बाबत किसी को संरक्षक नियुक्त करने के प्रार्थनापत्र का निस्तारण इसके पश्चात होगा।

2- जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उस द्वारा सभी दस्तावेज निगरानी के समय दायर किये गये हैं, जिनमें आधार कार्ड कुमारी अविका सिंह दिया है। इस संबंध में जन्म प्रमाणपत्र जिसमें मृत्तक अजीत कुमार को पिता तथा मृत्तका अम्बालिका सिंह को माता के रूप में दर्शाया गया है व कुमारी अविका को इनकी पुत्री होने के संदर्भ में कोई भी संदेह नहीं है। यह प्रार्थना पत्र मात्र इस पत्रावली के निस्तारण को विलम्बित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3- उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 ता 7 के द्वारा कथन किया गया कि यह प्रार्थना पत्र मात्र इस वाद को विलम्बित करने हेतु है व कोई आपत्ति वारिसान नियुक्त किये जाने पर नहीं है व डी.एन.ए. टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है।

4- पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित होता है कि :-

A- आधार कार्ड संख्या 921771546572 अविका सिंह की जन्मतिथि 03.05.2016 व अजीत कुमार निवासी 1802/दिव्यांश प्रथम अहिंसा खण्ड 2 इन्दिरापुरम, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल शिपरा सन सिटी, गाजियाबाद को पिता के रूप में दर्शाया गया है।

B- जन्म प्रमाणपत्र संख्या 713952 जिसमें एक लड़की का दिनांक 03.05.2016 में जन्म होना दर्शाया गया है। माता का नाम अम्बालिका सिंह व पिता का नाम अजीत कुमार दर्शाया है, प्रमाणपत्र जारी होने का दिनांक 04-08-2016 है।

C- कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2021 में मृत्तक के पारिवारिक सदस्यों के रूप में अविका सिंह का नाम दर्शाया गया है।

D- एक बीमा पॉलिसी नम्बर 400131762E जो अम्बालिका सिंह द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2018 में शुरू की गयी थी, में बतौर नॉमिनी अविका सिंह को दर्शाया गया है।

5- प्रार्थी संख्या 01 ता 07 सभी प्रतिवादी संख्या 8 के निजी रिश्तेदार हैं , उनकी प्रार्थी से कोई सीधी रिश्तेदारी नहीं है और उन द्वारा अपने जवाबदावे में यह कथन किया गया है कि अविका सिंह मृत्तकगण अजीत सिंह व अम्बालिका सिंह की बेटी है। श्रीमती अमिता सिंह को इसका संरक्षक नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

6- प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा शपथपत्र दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रतियाँ सहीं हैं व इनकी एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेंगे। यह वाद नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, की बुनियादी जरूरतों को लेकर है। अतः इसका निस्तारण इसी स्तर पर किया जा रहा है।

7- पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व बीमा पॉलिसी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 07 की सुसंगता से यह स्पष्ट है कि अविका सिंह मृत्तकगण अजीत कुमार व अम्बालिका सिंह की बेटी है। अजीत कुमार की दिनांक 19-05-2021 में मृत्यु हुई थी तथा दिनांक 24-05-2021 में अम्बालिका सिंह की मृत्यु हुई थी। अम्बालिका सिंह की मृत्यु बाद में हुई है तो अजीत कुमार की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी में अगर एक बालिग लड़की इसकी स्वयं की बेटी नहीं होती तो बहुत छोटी उम्र होने के कारण कोई भी उसे बतौर नॉमिनी नामित नहीं करता। यह प्रार्थना पत्र मात्र वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने हेतु दिया गया है। डी.एन.ए. टेस्ट की आवश्यकता तभी है जब बल्दियत को लेकर संदेह हो। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार अविका सिंह मृत्तकगण की पुत्री है। अतः प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 52 ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 52 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.08.2023 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।